



अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि० (प्रधान कार्यालय) अल्मोड़ा।

लाइसेंस सं. ग्राआन्रवि. ०८/२०१२ दिनांक १६.०२.२०१२

दूरभाष-०५९६२-२३०२०४ फैक्स-०५९६२-२३०६८३,

E mail ID- dcbalm@rediffmail.com, dcbalmora@gmail.com Web :- zilasahkaribankalmora.co.in

पत्रांक ८५२ / लेखा/निष्क्रिय खाते/२०२५-२६/

दिनांक ०९.०७.२०२५

समस्त शाखा प्रबन्धक,
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०,
जनपद-अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।

विषय:- Inoperative Accounts/Unclaimed Deposits in Banks-Revised Instructions

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र RBI/2025-26/52/DOR.SOG(LEG).REC/32/09-08-024/2025-26/dt. June 12, 2025 को प्रकाशित Inoperative Accounts/Unclaimed Deposits in Banks- Revised Instructions (Amendment) 2025 and RBI/2025-26/53/DOR.AML.REC.31/

14.01.001/2025-26 को प्रकाशित Updation/Periodic Updation of KYC-Revised Instructions

का सन्दर्भ ग्रहण करें, जोकि आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अनुदेशों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों (**Unclaimed Deposit**) की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही उत्तराधिकारी/दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों के क्रम में खातेदारों की केवाईसी० किये जाने से सम्बन्धित है।

१- भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (DBT)/EBT/Scholarship amount (DBT/EBT), PMJDY के अन्तर्गत खोले गये खातों सहित केवाईसी के अपडेशन में बड़ी संख्या में लंबितता देखी है।

२- उक्त के संदर्भ में ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए बैंकों से यह अपेक्षित है कि केवाईसी० अपडेशन हेतु जनजागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाए जायें विशेषकर उन शाखाओं में जहाँ केवाईसी० अपडेशन ज्यादा समय से लम्बित है। उक्त संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक दिसम्बर ०२, २०२४ के पत्रानुसार-

- इसमें बैंकों से अन्य बातों के अलावा बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि ऐसे खातों/जमाराशियों की वार्षिक समीक्षा करें जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं हुआ है, छात्रवृत्ति राशि और/या सरकारी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतर डीबीटी/इलैक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण [ईबीटी] जमा करने के लिए खोले गये खातों को कोर बैंकिंग समाधान से अलग करें

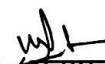
ताकि ऐसे खातों के निष्क्रिय हो जाने पर भी डीबीटी जमा करने में सुविधा हो, और इन खातों/जमाराशियों के ग्राहकों का पता लगाने के लिए कदम उठाएँ।

निष्क्रिय/फ्रीज किए गये खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएँ और ऐसे खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, गैर-गृह शाखाओं, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया आदि के माध्यम से केवाईसी के निर्बाध अद्यतन को शामिल करते हुए आसान और झंझट रहित बनाएँ। हालांकि डीबीटी/ईबीटी आदि जैसी विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के खातों को उनके खातों में ऐसी डीबीटी/ईबीटी राशियों के निर्बाध जमा की सुविधा के लिए अलग किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामले देखे गये हैं कि जहाँ ऐसे लाभार्थियों के खाते अन्य कारकों जैसे केवाईसी के लंबित अपडेशन के कारण फ्रिज कर दिये गये हैं। चूंकि ये खाते ज्यादातर समाज के वंचित वर्गों के लोगों से सम्बन्धित हैं, इसलिए बैंक ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर खातों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु विशेष अभियान चलाएँ। शाखाओं के सूचना-पट में अदावी खातों की सूची चस्पा करें।

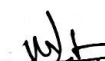
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि एक सघन अभियान के अन्तर्गत शाखा के अदावी जमाकर्ताओं का पता लगाये जाने हेतु व्यक्तिगत एवं दूरभाष के माध्यम से विशेष प्रयास करते हुए 3 माह तक का समय दिया जाये। यदि शाखा द्वारा पत्राचार करने के 3 माह तक भी कोई खातादार सम्पर्क नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त धनराशि को मुख्यालय हस्तान्तरित किया जाए। वर्तमान में सभी शाखाओं में नया स्टाफ आ चुका है, अतः नये स्टाफ को उक्त खातेदारों की केवाईसी का कार्य सौंपे तथा मुख्यालय को अनक्लेम्ड की धनराशि भेजने से पूर्व इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रेषित करें कि खातेदारों से व्यक्तिगत सम्पर्क, दूरभाष, पत्राचार तथा उन्हें 3 माह का समय देने के उपरान्त ही धनराशि मुख्यालय हस्तान्तरित की जा रही है।

अतः उक्त अनुदेशों का शाखा स्तर पर अनुपालन कर अदावी जमाराशियों (Unclaimed Deposit) की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही उत्तराधिकारी/दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- यथोक्तानुसार

सचिव  महाप्रबन्धक

1. समस्त उपमहाप्रबन्धक, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि शाखाओं के निरीक्षण के समय अदावी खातों की जांच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि समस्त शाखाओं के सूचना-पट में अदावी खातों की सूची चस्पा हो।
2. अनुभाग अधिकारी [लेखा] को इस निर्देश के साथ कि अदावी खातों की सूची को बैंक की वेबसाइट www.azsb.in में प्रदर्शित करें।

सचिव  महाप्रबन्धक



अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि० (प्रधान कार्यालय) अल्मोड़ा।

लाइसेंस सं. ग्राआन्रवि. ०८/२०१२ दिनांक १६.०२.२०१२

दूरभाष-०५९६२-२३०२०४

E mail ID-dcbalmora@azsb.in, dcbalmoraacc@azsb.in web-www.azsb.in

पत्रांक ४११

/लेखा/अपरिचालित खाते/२०२४-२५

दिनांक ०५, जून २०२४

समस्त शाखा प्रबन्धक,
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०,
जनपद-अल्मोड़ा एवं बागेश्वर

विषय- Overdue GL Sub Head Code-35041 में आयी धनराशि के निस्तारण के सम्बन्ध में

अवगत कराना है कि पूर्व में प्रधान कार्यालय पत्रांक १८१३/लेखा/अपरिचालित खाते/ दिनांक १६.१२.२०२३ व पत्रांक ८४/लेखा/अनक्लेम्ड डिपोजिट/दिनांक २२.०४.२०२४ के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे, कि शाखा में **Overdue GL Sub Head Code-35041** में आयी धनराशि का प्रत्येक दिन निस्तारण किया जाय। किन्तु मुख्यालय स्तर पर उक्त खाते के अवलोकन पर यह पाया गया कि उक्त जी०एल० शीर्ष में अधिक मात्रा में धनराशि अवशेष है।

अतः उक्त कम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि शाखा प्रबन्धक प्रत्येक कार्य दिवस के प्रारम्भ में **Overdue GL Sub Head** को चैक कर **Over Due** की धनराशि का नियमानुसार निस्तारण कर प्रत्येक कार्यदिवस खारिज करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी तथा मुख्यालय के पत्रों की अवहेलना का दोषी मानते हुये सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक की होगी।

उप महाप्रबन्धक(लेखा)
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०
अल्मोड़ा

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- १- डी०बी०ए० मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त सम्बन्ध में शाखा स्तर पर किसी भी समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें।
- २-सचिव/महाप्रबन्धक महोदय को अवलोकनार्थ।

उप महाप्रबन्धक(लेखा)



अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि० (प्रधान कार्यालय) अल्मोड़ा।

लाइसेंस सं. ग्राआन्रवि. 08/2012 दिनांक 16.02.2012

दूरभाष-05962-230204 फ़ैक्स-05962-230683,

E mail ID- dcbalm@rediffmail.com, dcbalmora@gmail.com

पत्रांक 84 / लेखा / अनक्लेम्ड डिपोजिट / 2024-25

दिनांक 22 अप्रैल 2024

समस्त शाखा प्रबन्धक,
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०
जनपद-अल्मोड़ा एवं बागेश्वर

प्रधान कार्यालय के पूर्व पत्रांक 2139/दिनांक 03.02.2024, 1880/दिनांक 27.12.2023 एवं पत्रांक 1813/दिनांक 16.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिस कम में 10 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े खातों व उनमें दावा न की गयी राशि को 3 माह तक नवीनीकरण अथवा नवीनीकरण न होने की दशा में मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि 10 वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े खातों व उनमें दावा न की गयी राशि को प्रत्येक माह DLYRPT से UNCLAIM_DEP रिपोर्ट निकालकर एवं समीक्षा कर नवीनीकरण अथवा धनराशि को मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक माह जी०एल० हेड-35041 एवं अपरिचालित खातों की भी समीक्षा कर उनको परिचालन की स्थिति में लाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त में किसी भी प्रकार की चूक पाये जाने पर सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक का दायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शाखा प्रबन्धक की होगी।

सचिव/महाप्रबन्धक

अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०

अल्मोड़ा



अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि० (प्रधान कार्यालय) अल्मोड़ा।

लाइसेंस सं. ग्राआक्रवि. ०८/२०१२ दिनांक १६.०२.२०१२

दूरभाष-०५९६२-२३०२०४ फैक्स-०५९६२-२३०६८३,

E mail ID- dcbalm@rediffmail.com, dcbalmora@gmail.com Web :- zilasahkaribankalmora.co.in

पत्रांक ८५ / लेखा / अनकलेम्ड डिपॉजिट / २०२४-२५ /

दिनांक २२ अप्रैल २०२४

समस्त शाखा प्रबन्धक,
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०,
जनपद-अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।

बैंक पर लागू जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, २०१४- बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ के क्रम में नाबार्ड-उत्तराखण्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा प्रेषित पत्रांक राबैंक. पर्यवि. प्रका. पॉलिसी, ४३७९/पी ९५/२०२३-२४ दिनांक २२ मार्च २०२४ का सन्दर्भ ग्रहण करें जोकि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA FUND) निधि में राशि के अंतरण पर मार्गदर्शन - सरकारी या सरकारी योजनाओं से संबन्धित खाते विषयक है।

उक्त नाबार्ड पत्रांक द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA FUND) निधि योजना, २०१४ के खंड ३ (iii) की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "निधि में जमा की जाने वाली राशि बैंकों के साथ रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष होगी, जिसे दस साल या उससे अधिक समय से संचालित नहीं किया गया है या कोई भी राशि दस साल या उससे अधिक समय से दावा न की गई है।" उक्त के क्रम में समस्त खातों की समस्त जमा धनराशि जो दस साल या उससे अधिक समय से संचालित ना की गयी हो या कोई भी धनराशि दस साल या उससे अधिक समय से दावा न की गई हो जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, २०१४ (DEA FUND) में जमा किए जाने के लिए पात्र है।

ज्ञात हो कि मुख्यालय पत्रांक सं १८१३ दिनांक १६.१२.२०२३ द्वारा शाखा स्तर पर १० वर्ष व १० वर्ष से अधिक से अपरिचालित खातों की धनराशि के निस्तारण एवं जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (DEA FUND) को भेजे जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गए थे, अतः शाखा स्तर पर उक्त स्पष्टीकरण के प्रकाश में समस्त जमा धनराशि जो कि १० वर्ष से अधिक से असंचालित है का मुख्यालय से प्रेषित पत्रांक २९५९ दिनांक २१.०३.२०२४ विषयक 'निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ (Unclaimed Deposit) - संशोधित अनुदेश' के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। शाखा उक्त समस्त खातों का पुनः केवाईसी कर निष्क्रिय खातों को परिचालन करने हेतु जमाकर्ताओं से दूरभाष अथवा व्यक्तिगत संपर्क करें एवं उक्त खातों के परिचालन ना होने की स्थिति में उक्त धनराशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना (DEA FUND) में जमा किये जाने हेतु मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

सचिव, महाप्रबंधक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. उप महाप्रबंधक (लेखा) एवं अनुभाग अधिकारी (लेखा) को इस निर्देश के साथ कि शाखाओं से प्रतिमाह अनकलेम्ड डिपॉजिट की सूचना संकलित कर DEA FUND में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
२. प्रशासक महोदया को अवलोकनार्थ प्रेषित।

सचिव, महाप्रबंधक



अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि० (प्रधान कार्यालय) अल्मोड़ा।

लाइसेंस सं. ग्राआन्रवि. 08/2012 दिनांक 16.02.2012

दूरभाष-05962-230204 फ़ैक्स-05962-230683,

E mail ID- dcbalm@rediffmail.com, dcbalmora@gmail.com Web :- zilasahkaribankalmora.co.in

पत्रांक 2959

/लेखा/निष्क्रिय खाते/2023-24/

दिनांक 21.03.2024

समस्त शाखा प्रबन्धक,
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि०,
जनपद-अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र आरबीआई/2023-24/105 विवि.एसओजी(एलईजी).आरईसी. 64/09.08.024/2023-24 दिनांक जनवरी 1, 2024 को प्रकाशित 'बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - "संशोधित अनुदेश" का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) और सभी सहकारी बैंकों पर दिनांक 01-04-2024 से लागू है। उक्त अनुदेशों (अनुलग्नक में दिए गए) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों (Unclaimed Deposit) की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही उत्तराधिकारी/दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों के क्रम में है।

अतः उक्त अनुदेशों का शाखा स्तर पर अनुपालन कर अदावी जमाराशियों (Unclaimed Deposit) की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही उत्तराधिकारी/दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रयासों और पहलों को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- यथोक्तानुसार

सचिव/महाप्रबंधक

1. उप महाप्रबंधक (लेखा) एवं अनुभाग अधिकारी (लेखा) उक्त अनुदेशों का अनुपालन मुख्यालय स्तर पर अदावी जमाराशियों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
2. डी०बी०ए मुख्यालय को उक्त अनुदेशों के क्रम में सी०बी०एस में वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सचिव/महाप्रबंधक